प्रेस नोट – जनपद बिजनौर **दिनांक – 22.10.2024**

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बिजनौर पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा हत्या जैसा जघन्य अपराध कारित करने वाली आरोपी अभियुक्ता को आजीवन कारावास व 7,000 /- रूपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित।

कार्यवाही –

दिनांक 14.05.2007 को वादिया ने थाना स्योहारा पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.गीतू उर्फ गीताराम 2.हरीशचन्द्र पुत्र मुकन्दी 3.श्रीमती सोनी पत्नी तेजपाल निवासीगण रवाना शिकारपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ने अवैध सम्बंधो को लेकर वादिया के भाई तेजपाल की हत्या कर शव को घर के अन्दर गड्ढा खोदकर छिपा दिया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्योहारा पर मु0अ0सं0 464/2007 धारा 302/201 भादवि बनाम गीतू उर्फ गीताराम आदि कुल 03 नफर पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही पूर्ण होने के उपरांत पुलिस द्वारा आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

इस अभियोग में बिजनौर पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त एवं प्रभावी पैरवी की गयी तथा अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 22.10.2024 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, एफ0टी0सी-II जनपद बिजनौर द्वारा धारा 302/201 भादवि की आरोपी अभियुक्ता सोनी पत्नी तेजपाल (मृतक) निवासी रवाना शिकारपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को आजीवन कारावास व ₹ 7,000 /- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम व पता –

सोनी पत्नी तेजपाल निवासी रवाना शिकारपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – जनपद बिजनौर   दिनांक – 22.10.2024

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बिजनौर पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा जानलेवा हमले के आरोपी अभियुक्त को 05 वर्ष के कारावास व 23,500 /- रूपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित।

कार्यवाही –

दिनांक 21.02.2018 को वादी बन्टी पुत्र रणजीत निवासी ग्राम गिलाडी थाना नहटौर जनपद बिजनौर ने थाना नहटौर पर तहरीर दी कि दिनांक 20.02.2018 को अभियुक्त हेमेन्द्र पुत्र श्याम सिंह निवासी ग्राम फुलसन्दा गंगदास थाना नहटौर जनपद बिजनौर आदि कुल 02 नफर द्वारा वादी के साथ मारपीट की गयी तथा जान से मारने की नियत से वादी के सिर पर पेचकस से वार किया, जिससे वादी के सिर में गम्भीर चोटें आयी तथा गाली-गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी दी गयी । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नहटौर पर मु0अ0सं0 89/18 धारा 307/323/504/506 भादवि बनाम हेमेन्द्र आदि उपरोक्त कुल 02 नफर पंजीकृत किया गया । विवेचनात्मक कार्यवाही पूर्ण होने के उपरांत पुलिस द्वारा आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

इस अभियोग में बिजनौर पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त एवं प्रभावी पैरवी की गयी तथा अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 22.10.2024 को मा0 न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जनपद बिजनौर द्वारा धारा 307/34,323/34,504,506 भादवि के आरोपी अभियुक्त हेमेन्द्र पुत्र श्याम सिंह निवासी ग्राम फुलसन्दा गंगदास थाना नहटौर जनपद बिजनौर को 05 वर्ष के कारावास व ₹ 23,500 /- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम व पता –

हेमेन्द्र पुत्र श्याम सिंह निवासी ग्राम फुलसन्दा गंगदास थाना नहटौर जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – जनपद बिजनौर **दिनांक – 22.10.2024**

जनपदीय पुलिस द्वारा 07 वारंटी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चल रहे अभियान के क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा 07 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। जिनका विवरण निम्नवत हैः-

क्र0सं0	नाम थाना	गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तगण का नाम व पता
1	को0 शहर	सुहैल उर्फ राजा पुत्र अ0 खालिक निवासी मौ0 लम्बा बाजार कस्बा व थाना दनकोर जनपद गौतमबुद्ध नगर
2	को0 शहर	वर्णित उर्फ रीशू गुप्ता पुत्र शरद गुप्ता नि0 आवास विकास कालोनी थाना कोतवाली नगर बिजनौर
3	चांदपुर	गौरव शर्मा पुत्र विष्णुदत्त शर्मा निवासी कटारमल थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
4	धामपुर	शीशपाल सिंह पुत्र अमर सिहं निवासी ग्राम भटियाना खुशहालपुर थाना धामपुर जनपद बिजनौर।
5	धामपुर	अजयदार उर्फ गुड्डु पुत्र छुद्दू नि0 ग्राम मिलक जहाँगीराबाद थाना धामपुर जनपद बिजनौर
6	शेरकोट	विजय पुत्र जगराम निवासी ग्राम पालकी एमन थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
7	शेरकोट	मुन्ने पुत्र शीशराम नि0 ग्राम पालकी एमन थाना शेरकोट जनपद बिजनौर

थाना को0 शहर

थाना चांदपुर

थाना धामपुर

थाना शेरकोट

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना कोतवाली शहर दिनांक – 22.10.2024

थाना कोतवाली शहर पुलिस ने मु0अ0सं0 994/2024 धारा 352 बीएनएस, 67 आइटी एक्ट व धारा 13(क)/14 पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित 03 बाल अपचारियों को पुलिस अभिरक्षा में लेकर घटना में प्रयुक्त 03 आईफोन मोबाइल बरामद किये गये।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 22.10.2024 को वादी ने थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी कि वादी की पुत्री के साथ पढने वाले लडके ने वादी की पुत्री के कुछ आपत्तिजनक फोटो बिना लडकी की मर्जी के अपने दो अन्य दोस्तों के पास भेज दिये, जिन्हे वादी की पुत्री द्वारा डिलीट करने के लिये कहा गया तो आरोपी द्वारा वादी की पुत्री के साथ अभद्र व्यवहार तथा गाली गलौच की गयी। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 994/2024 धारा 352 बीएनएस व 67 आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

आज दिनांक 22.10.2024 को थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से सम्बंधित 03 बाल अपचारियों को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। बाल अपचारियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 03 मोबाईल आई-फोन 13 प्रो (रंग नीला), आईफोन 12 (रंग सफेद) व आईफोन 13 प्रो मैक्स (रंग नीला) बरामद किये गये। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान साक्ष्य संकलन के आधार पर उक्त अभियोग में धारा 13(क)/14 पॉक्सो एक्ट की वृद्धि की गयी। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्तगण का नाम व पता –

03 बाल अपचारी

बरामदगी –

1.एक मोबाईल आईफोन 13 प्रो रंग नीला
2.एक मोबाईल आईफोन 12 रंग सफेद
3.एक मोबाईल आईफोन13 प्रो मैक्स रंग नीला

अभिरक्षा में लेने वाली पुलिस टीम –

1.श्री उदयप्रताप प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
2.उ0नि0 प्रशान्त सिंह बाल कल्याण अधिकारी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
3.हे0कां0 773 अरुण थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
4.कां0 1198 संदीप थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
5.कां0 2167 अरुण (सादा वस्त्र) थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
6.कां0 65 सतीश थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना स्योहारा **दिनांक – 22.10.2024**

थाना स्योहारा पुलिस ने मु0अ0सं0 518/24 धारा 70(2)/115(2)/351(3) बीएनएस, धारा 3/4(2) पॉक्सो एक्ट व धारा 67 आईटी एक्ट से सम्बंधित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 21.10.2024 को वादिया ने थाना स्योहारा पर तहरीर दी कि उसकी नाबालिग पुत्री कस्बा स्योहारा के रहने वाले अदनान पुत्र आरिफ जैदी के यहां साफ-सफाई का काम करती है। आरोपी अदननान द्वारा वादिया की पुत्री के साथ गलत काम किया तथा उसकी वीडियो बनाकर वायरल कर दी। उपरोक्त घटना में नामजद एक महिला द्वारा आरोपी का सहयोग किया गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्योहारा पर मु0अ0सं0 518/24 धारा 70(2)/115(2)/351(3) बीएनएस, धारा 3/4(2) पॉक्सो एक्ट व धारा 67 आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

थाना स्योहारा पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त अदनान पुत्र आरिफ जैदी निवासी ग्राम चकमहदूदसानी कस्बा व थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

अदनान पुत्र आरिफ जैदी निवासी ग्राम चकमहदूदसानी कस्बा व थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.श्री अमित कुमार, प्रभारी निरीक्षक थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
2.उ0नि0 कृपाल सिंह थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
3.म0उ0नि0 वर्षा यादव थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
4.मुख्य आरक्षी 137 असकर खाँ थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
5.आरक्षी 1229 विवेक थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
6.म0आरक्षी 1019 साक्षी तोमर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर